,म.प्र.ग्वालियर

(346)

R. 3035-II/14

1. कुसमकली पत्नी स्व. रामाश्रय पाण्डेय उम्र 75 वर्ष पेशा गृहकार्य
2. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय तनय स्व.श्री रामाश्रय प्रसाद पाण्डेय पेशा वकालत
दोनो निवासी ग्राम भेलकी तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)

---पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. म.प्र.शासन
2. शिवकली विधवा पत्नी स्व. सनद कुमार पाण्डेय उम्र 70 वर्ष पेशा गृहकार्य
3. आशा देवी पत्नी स्व. छोटेलाल पाण्डेय उम्र 60 वर्ष पेशा गृहकार्य
4. संदीप कुमार तनय स्व.छोटेलाल पाण्डेय उम्र 35 वर्ष पेशा कृषि
सभी निवासी ग्राम भेलकी तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)

-----गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 50 निगरानी 2007--08 आदेश दिनांक 13.08.14

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

Abhargava 10-9-14
अमित भार्गव (अधि०)

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि आराजी ग्राम भेलकी 822 आराजी खसरा क्रमांक नया 210 रकवा 1.52 एकड जिसका पुराना नम्बर 183, 184 था पुनरीक्षणकर्तागण के स्वत्व अधिपत्य की आराजी थी एवं पुनरीक्षणकर्तागणों का उक्त आराजी पर कालांतर से लगायत आज तक मौके से कब्जा दखल चला आ रहा है ।

2. यह कि उक्त आराजी सन् 1958--59 के पूर्व ग्राम सुदरी के निवासी ~~[illegible]~~ रामचन्द्र राम तिवारी के स्वत्व की आराजी थी जिसे पुनरीक्षणकर्ता क्र.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–3035–दो / 2014 जिला–सीधी

कुसुमकली व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री अमित भार्गव, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सीधी, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक 50 / निगरानी / 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 13–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 11-3-19 (आर0के0 जैन) सदस्य	